रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003

<u>कंपनी सचिवालय प्रभाग</u>

सं. सेक-**1/8(1)/2009/** दिनांक**: 16.4.2009**

<u>ऋण नीति परिपत्र-सं. **003/2009**</u>

विषय**:-** आवधिक ऋणों को उधार देने की दरें में परिवर्तन

संदर्भ सं. **1**. ऋण नीति परिपत्र सं. **001/2009** दिनांक **22**जनवरी, **2009**
2. ऋण नीति परिपत्र सं. **002/2009** , दिनांक **5** फरवरी, **2009**

आरईसी के निदेशक मंडल की उप समिति ने 16 अप्रेल, 2009 को आयोजित अपनी 19वीं बैठक (स्थगित) में आवधिक ऋणों एवं लघु अवधि ऋणों से सबंधित उधार देने की दरों में **संलग्न अनुबंध में दिए गए विवरण अनुसार परिवर्तन की तुंत प्रभाव से अनुमति दी है।**

2. **परिवर्तन ब्याज दरें 22 जनवरी, 2009 को या इसके बाद किए गए सभी संवितरणों पर लागू होंगी।**

3. ऋणों/स्कीमों के अन्य नियम एवं शर्तें वही रहेंगी, जैसी पहले सूचित की गई हैं।

4. आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक और कारपोरेट कार्यालय के मंजूरी पत्र जारीकर्ता अधिकारियों से अनुरोध है कि वे लागू ब्याज दरें और अन्य नियम एवं शर्तें सभी संबंधितों को विधिवत परिचालित करें और मंजूरी पत्रों में उचित तरीके से शामिल करें।

ह./

(बी.आर.रघुनंदन)
महाप्रबंधक (विधि) एवं कंपनी सचिव

संलग्नक: <u>अनुबंध</u>